मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 9 जुलाई, 2014 (18 आषाढ़, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों (प्रश्न संख्या-1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 22 23, 24 एवं 25) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 90 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 84 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय को आज पूरे 25 तारांकित प्रश्न होने पर सदन की ओर से बधाई दी गई.

2. पृच्छा : स्थगन प्रस्ताव की दी गई सूचना

इन्दौर में वकीलों की हड़ताल संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में आये. अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले प्राप्त हुआ था एवं स्थगन प्रस्ताव आज प्राप्त हुआ है जिस पर जानकारी मंगाई गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन की कार्यवाही आगे चलने दें, डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन को जानकारी दी गई कि इस विषय को शासन ने गंभीरता से लिया है. आज मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय पर बैठक लेकर भोपाल से अधिकारी को जिम्मेदारी दी है और आज ही इसका कोई संतोषजनक समाधान निकल आयेगा.

(अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर, कांग्रेस के माननीय सदस्यगण गर्भगृह से वापस अपने-अपने आसनों पर गए.)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की माध्यमिक मंडल द्वारा फीस में वृद्धि की जाने,
(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के कई ग्रामों में विद्युत सब-स्टेशंस का कार्य धीमी गति से होने,
(3) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की हरदा जिले के ग्राम पोखरनी (शुक्ल) स्थित तालाब पर कृषकों का कब्जा होने,
(4) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की मंदसौर जिले में एक अनुसूचित जाति को राजस्व रिकार्ड में दर्ज न किये जाने,
(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के ग्राम काथा में शासकीय भूमि (कब्रिस्तान) की भूमि पर कब्जा किये जाने,
(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली क्षेत्र के दीनदयाल नगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने,
(7) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की प्रदेश में ग्रन्थपालों को पदोन्नति न दिये जाने,
(8) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की भोपाल शहर के वार्ड 56 में ग्रीन लैण्ड की भूमि पर अतिक्रमण होने,
(9) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य की रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान से सीतापुर सड़क मार्ग की हालत जर्जर होने तथा
(10) श्री जितू पटवारी, सदस्य की खाचरौद क्षेत्र में खाद्यान्न की काला बाजारी होने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का 30 जून, 2013 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, पटल पर रखा.

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य ने इंदौर शहर में साइबर क्राईम में बढ़ोत्तरी होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री मुरलीधर पाटीदार, नारायण सिंह कुशवाह, बहादुर सिंह चौहान, जसवंत सिंह हाड़ा एवं अरूण भीमावद्, सदस्यगण ने आगर जिले के सुसनेर क्षेत्र में अवैधानिक गतिविधियां होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री गिरीश गौतम (जिला-रीवा)
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (जिला-मन्दसौर)
(3) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(4) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(5) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(6) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(7) श्री सत्यप्रकाश सखवार (एडव्होकेट) (जिला-मुरैना)
(8) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(9) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)

सभापति महोदय (श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए.

7. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(4) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 17	सहकारिता के लिए सात सौ बारह करोड़, चालीस लाख, पच्चीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 30	ग्रामीण विकास के लिए दो हजार एक सौ अड़सठ करोड़, सतासी लाख, पॉंच हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 34	सामाजिक न्याय के लिए दो सौ तेर्इस करोड़, सतानवे लाख, छिहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए इकत्तीस करोड़, नब्बे लाख, रुपये,
अनुदान संख्या – 62	पंचायत के लिए एक सौ इकहत्तर करोड़, तेरह लाख, तिरेसठ हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए बारह हजार छ: सौ इकतालीस करोड़, बासठ लाख, पैंतीस हजार रुपये, तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री गिरीश गौतम

8. श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बाला बच्चन, सदस्य द्वारा सदन में आपत्तिजनक प्रदर्शन करने की आसंदी द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जाना

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भगवा तौलिया ओढ़कर सदन में प्रवेश किया गया तथा श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा व्यापम संबंधी बात कही गई. श्री बाला बच्चन, सदस्य कमण्डल, घण्टी और भगवा वस्त्र सदन के पटल पर रखकर अपने स्थान पर गये.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में किये गये प्रदर्शन पर आपत्ति व्यक्त करते हुए आसंदी से व्यवस्था देने की मांग की गई. आसंदी द्वारा इस आपत्तिजनक प्रदर्शन को अनुचित मानते हुए अनुमति प्रदान नहीं की गई.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री द्वारा सदन की कार्यवाही के एक पूर्वोदाहरण का उल्लेख किया गया जिसमें उनके द्वारा सदन में प्रदर्शित एक सूची के कारण प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था. तत्पश्चात्, उन पर सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार भंग का मामला चला था. वन मंत्री द्वारा इस आधार पर आज के प्रदर्शन को भी विशेषाधिकार समिति को सौंपकर सदन की अवमानना का प्रकरण चलाने की मांग की गई.

(मध्यान्ह 12.59 से 2.35 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

9. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(3) श्री रामनिवास रावत
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(5) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(6) श्री बाला बच्चन
(7) श्री दुर्गालाल विजय

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

(8) श्री बहादुर सिंह चौहान
(9) श्री हरदीप सिंह डंग
(10) डॉ. कैलाश जाटव
(11) श्री कुंवर सिंह टेकाम

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(12) कुंवर विक्रम सिंह
(13) श्री मानवेन्द्र सिंह
(14) श्री जालम सिंह पटेल
(15) श्रीमती शीला त्यागी
(16) श्री कमलेश्वर पटेल
(17) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(18) श्री रामप्यारे कुलस्ते
(19) श्रीमती चंदा सिंह गौर

(20) श्रीमती ऊषा चौधरी
(21) श्री मुरलीधर पाटीदार
(22) श्री सचिन यादव
(23) श्री कमल मर्सकोले
(24) श्री सोहनलाल बाल्मीक

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(5) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 10	वन के लिए दो हजार, दो सौ तीन करोड़, छत्तीस लाख रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नालॉजी) के लिए पाँच करोड़, पचास लाख रुपये, तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री उमंग सिंघार
(2) श्री मानवेन्द्र सिंह
(3) कुंवर विक्रम सिंह
(4) श्री दुर्गालाल विजय
(5) श्री वैल सिंह भूरिया
(6) श्री रूस्तम सिंह
(7) श्री रामनिवास रावत

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(8) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(9) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(10) श्रीमती झूमा सोलंकी
(11) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(12) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(13) श्रीमती चंदा सिंह गौर
(14) श्रीमती शीला त्यागी
(15) श्री आर.डी. प्रजापति
(16) श्री जालम सिंह पटेल

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपरान्ह 8.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 10 जुलाई, 2014 (19 आषाढ़, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 9 जुलाई, 2014